अनुलग्नक – 1

संस्थागत व्यवस्था की निधि के मद, प्रयोजन और व्यय की अधिकतम सीमा

क्र.	मद	प्रयोजन	व्यय की अधिकतम सीमा		रिमार्क
			प्रतिमाह (₹ में)	वार्षिक (₹ लाख में)	
1	मानदेय	तकनीकी विशेषज्ञ का मानदेय	25000	3.00	
		अकाउन्टेंट का मानदेय	10000	1.20	
		डाटा एन्ट्री आपरेटर का मानदेय	8100	1.00	
		योग		**5.20**	
2	यात्रा देयक			1.00	
3	कार्यालयीन प्रचालन	जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर की कार्यालयीन प्रक्रियाओं और कार्यों का निष्पादन		2.8	राज्य शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार
		योग		**3.80**	
महायोग				**9.00**	

अनुलग्नक – 2

परियोजना निधि के मद, प्रयोजन और व्यय की अधिकतम सीमा

क्र.	मद	स्तर	प्रयोजन	बजट की प्रतिशतता / व्यय की अधिकतम सीमा
1	प्रशासनिक लागत	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी	कार्यालयीन फर्नीचर / उपकरण, कम्प्यूटर, प्रिंटर इत्यादि (संपूर्ण परियोजना के दौरान प्रत्येक परियोजना हेतु केवल 1 बार – ₹ 50,000 की सीमा तक)	कुल परियोजना लागत का 10%
			वाटरशेड डेवलपमेंट टीम के विषय विशेषज्ञों का पारिश्रमिक / मानदेय (मिशन मुख्यालय द्वारा निर्धारित दर के आधार पर)	
			परियोजना क्षेत्र में पूर्णकालिक कार्यालय का प्रचालन, जिसमें भवन किराया, स्टेशनरी, बिजली, टेलिफोन, इंटरनेट इत्यादि शामिल होगा एवं रिकार्ड तथा दस्तावेज संधारण	
		वाटरशेड समिति	कार्यालयीन फर्नीचर / उपकरण (संपूर्ण परियोजना के दौरान प्रत्येक वाटरशेड समिति हेतु केवल 1 बार – ₹ 20,000 की सीमा तक)	
			वाटरशेड समिति के सचिव का मानदेय (मिशन मुख्यालय द्वारा निर्धारित दर के आधार पर)	
2	निगरानी एवं मूल्यांकन	स्टेट लेवल नोडल एजेंसी **और** जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर	जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के प्रत्येक चरण में अपनाई गई विभिन्न प्रक्रियाओं / प्रणालियों, निष्पादित कार्यकलापों, इनकी भौतिक व वित्तीय प्रगति, प्रभावों / परिणामों, जनित संरचनाओं व परिसम्पत्तियों के रख रखाव, संधारित रिकार्ड, रर्जिस्टर व लेखा इत्यादि का **सतत्** पर्यवेक्षण और परिणाममूलक अनुश्रवण / निगरानी (Monitoring)	कुल परियोजना लागत का 1.00%
			जी.आई.एस. / वेब / रिमोट सेन्सिंग आधारित ऑन लाईन निगरानी एवं एम.आई.एस.	
			जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं की स्वतंत्र एवं बाह्य संस्थाओं / व्यक्तियों द्वारा समय समय पर बाह्य तौर पर निगरानी (मिशन मुख्यालय द्वारा चिन्हित / अनुशंसित / अनुमोदित संस्थाओं / व्यक्तियों से ही)	
			जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के प्रत्येक चरण में अपनाई गई विभिन्न प्रक्रियाओं / प्रणालियों, निष्पादित कार्यकलापों, इनकी भौतिक व वित्तीय प्रगति, प्रभावों / परिणामों, जनित संरचनाओं व परिसम्पत्तियों के रख रखाव, संधारित रिकार्ड, रर्जिस्टर व लेखा इत्यादि का स्वतंत्र एवं बाह्य संस्थाओं द्वारा समय समय पर बाह्य तौर पर मूल्यांकन (External Evaluation) (मिशन मुख्यालय द्वारा अनुमोदित संस्थाओं से ही)	

क्र.	मद	स्तर	प्रयोजन	बजट की प्रतिशतता/व्यय की अधिकतम सीमा
	निगरानी एवं मूल्यांकन	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी	सौंपी गई जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के प्रत्येक चरण में अपनाई गई विभिन्न प्रक्रियाओं/प्रणालियों, निष्पादित कार्यकलापों, इनकी भौतिक व वित्तीय प्रगति, प्रभावों/परिणामों, जनित संरचनाओं व परिसम्पत्तियों के रख रखाव, संधारित रिकार्ड, रर्जिस्टर व लेखा इत्यादि का **सतत्** पर्यवेक्षण और परिणाममूलक अनुश्रवण/निगरानी (Monitoring)	कुल परियोजना लागत का 1.00%
			जी.आई.एस./वेब/रिमोट सेन्सिंग आधारित ऑन लाईन निगरानी एवं एम.आई.एस.	
			सामाजिक अंकेक्षण	
			वित्तीय लेखा परीक्षा (आडिट)	
3	प्रारंभिक कार्यकलाप	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी	सौंपी गई जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के कार्य क्षेत्र में वाटरशेड डेवलपमेंट टीम की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने और ग्रामीण समुदाय का समन्वय प्राप्त करने के लिए मिशन मुख्यालय द्वारा निर्दिष्ट अनुसार प्रारंभिक कार्यकलापों (Entry Point Activity) का चयन, आयोजना तैयार करना, स्वीकृतियां प्राप्त करना और कार्यान्वयन	कुल परियोजना लागत का 4%
4	संस्थापन तथा क्षमता निर्माण	स्टेट लेवल नोडल एजेंसी	जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर, वाटरशेड डेवलपमेंट टीम और अन्य सामुदायिक संगठनों की क्षमता विकास हेतु आवश्यक कार्यकलाप	कुल परियोजना लागत का 2.75%
		परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी	प्रारंभिक चरण में सामाजिक जुड़ाव हेतु विविध कार्यकलाप तथा उपयोगकर्ता समूहों, स्वसहायता समूहों तथा वाटरशेड समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों को सफल क्षेत्रों में दिशाबोधक भ्रमण (Exposure Visit)	
			वाटरशेड समितियों का पंजीकरण	
			स्वसहायता समूहों के परिसंघों का गठन व पंजीकरण	
			उपयोगकर्ता समूहों, स्वसहायता समूहों एवं वाटरशेड समितियों की क्षमता विकास तथा उन्हें तकनीकी सहायता/मार्गदर्शन (उपयोगकर्ता समूहों तथा स्वसहायता समूहों के लिए यह प्रयोजन ग्राम स्तर पर और वाटरशेड समितियों के लिए ग्राम स्तर/विकासखण्ड स्तर पर ही यथासंभव निष्पादित करना होगा)	
			क्षमता विकास हेतु पाठय सामग्री, मेनुअल एवं टूल का विकास (क्षमता विकास का कार्यक्रम आयोजित करने के पूर्व इस प्रकार के विकसित मेनुअल और टूल का अनुमोदन जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर से अनिवार्यतः प्राप्त किया जायेगा)	
			रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण	
			स्वसहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड देने के पूर्व बचत एवं साख गतिविधि के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सहयोग राशि प्रदाय करना	
			मिशन मुख्यालय, राज्य एवं राष्ट्र स्तरीय संसाधन संगठनों/संस्थाओं (अकादमिक/शोध) से समन्वय एवं सहयोग प्राप्त करना। उनके द्वारा विकसित प्रक्रियाओं/प्रणालियों/तकनीकों को अपनाना।	
		वाटरशेड समिति	परियोजना क्षेत्र में पूर्णकालिक कार्यालय का प्रचालन, जिसमें भवन किराया, स्टेशनरी, बिजली, टेलिफोन इत्यादि शामिल होगा एवं रिकार्ड तथा दस्तावेज संधारण	कुल परियोजना लागत का 2.25%
			उपयोगकर्ता समूहों, स्वसहायता समूहों तथा वाटरशेड समितियों के दायित्वों के अनुक्रम में इनकी समूह संचालन संबंधी विविध गतिविधियों का निष्पादन जैसे बैठकें इत्यादि	

क्र.	मद	स्तर	प्रयोजन	बजट की प्रतिशतता/व्यय की अधिकतम सीमा
5	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.)	**परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी**	वैज्ञानिक व तकनीकी सर्वेक्षणों, ग्रामीण जनसहभागी समीक्षा, नेट प्लानिंग इत्यादि प्रणालियों और प्रक्रियाओं को अपनाकर परियोजना के उद्देश्यों के अनुरूप अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति के लिए विविध कार्यों/कार्यकलापों/लघु उद्यमों का चयन करना और विस्तृत कार्य योजना (Dawing, Design, Estimate, Maps इत्यादि सहित) तैयार बनाकर स्वीकृतियां प्राप्त करना, जिसमें निम्न की आयोजना शामिल होगी :—1. वाटरशेड विकास कार्य, 2. आजीविका संबंधी कार्यकलाप, 3. अति लघु उद्यमों का प्रचालन, 4. कृषि उत्पादन में बढ़ौतरी के लिए उपयुक्त कृषि उत्पादन पद्धतियों/प्रणालियां को लागू करना, 5. प्रशासनिक कार्य, 6. संस्थापन तथा क्षमता निर्माण, 7. निगरानी एवं मूल्यांकन कार्य विस्तृत कार्य योजना बनाने हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकियों, तकनीकों जैसे रिमोट सेंसिंग, जी.आई.एस. इत्यादि का उपयोग करना तथा वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग लेना	कुल परियोजना लागत का 1%
6	**वाटरशेड कार्य चरण**			
6.1	वाटरशेड विकास कार्य	**वाटरशेड समिति**	मृदा संरक्षण, जल संरक्षण व संवर्धन, वानस्पतिक आच्छादन का विकास इत्यादि वाटरशेड विकास कार्यों का कार्यान्वयन सार्वजनिक संपत्ति संसाधनों का विकास और प्रबंधन	कुल परियोजना लागत का 50%
6.2	आजीविका संबंधी कार्यकलाप	**वाटरशेड समिति**	स्थानीय साधनों व संसाधनों तथा बाजार की संभावनाओं के दृष्टिगत आजीविका उन्नयन हेतु आयमूलक गतिविधियों का समग्र कार्यान्वयन (मिशन मुख्यालय द्वारा निर्दिष्ट पात्रता वाले हितग्राहियों के लिए) उक्त कार्यों के कार्यान्वयन में संसाधन संगठनों/स्त्रोत व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करना।	कुल परियोजना लागत का 10%
6.3	उत्पादन प्रणाली तथा अति लघु उद्यम	**वाटरशेड समिति**	फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए उपयुक्त कृषि तकनीकों/प्रणालियों को अपनाना, जिसमें नई फसलों/किस्मों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। जल प्रबंधन/बचाव प्रौद्योगिकियों जैसे ड्रिप सिंचाई इत्यादि को अपनाना। मुर्गी पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन इत्यादि पर आधारित लघु व्यवसायिक उद्यमों का समग्र कार्यान्वयन (मिशन मुख्यालय द्वारा निर्दिष्ट पात्रता वाले हितग्राहियों के लिए) उक्त कार्यों के कार्यान्वयन में संसाधन संगठनों/स्त्रोत व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करना।	कुल परियोजना लागत का 13%

क्र.	मद	स्तर	प्रयोजन	बजट की प्रतिशतता/व्यय की अधिकतम सीमा
7	समेकन चरण	**परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी एवं वाटरशेड समिति**	परियोजना के अंतिम वर्ष में परियोजना के उद्देश्यों के अनुरूप अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुसार अधूरे कार्यों को पूर्ण करना।	कुल परियोजना लागत का 5%
			सामुदायिक कार्यों के फलस्वरूप जनित परिसम्पत्तियों और संरचनाओं का सुधार	
			कॉमन प्रॉपटी रिसोर्स का सुधार, रख रखाव तथा संरक्षण	
			विकसित संसाधनों एवं जनित परिसम्पत्तियों का सतत् प्रबंधन और इस हेतु सामुदायिक संगठनों की क्षमता विकास	
			कृषि उत्पादन प्रणालियों एवं कृषि से इतर आजीविका संसाधनों के संबंध में सफल अनुभवों में और वृद्धि करना।	
			संपादित कार्यों की स्टॉक टेकिंग तथा समग्र रिपोर्ट तैयार करना	
			सभी रिकार्ड एवं रजिस्टर को अद्यतन करना और वित्तीय लेखा परीक्षा सुनिश्चित कराना।	
			सफल अनुभवों और प्राप्त किये गये ज्ञान के प्रलेख तैयार करना।	
			अंतिम मूल्यांकन (Final Evaluation)	
			एक्जिट प्रोटोकॉल (Exit Protocol)	

नोट : उक्त मदों में उपरोक्तानुसार उल्लेखित प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों व होने वाले व्यय का निर्धारण जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के उद्देश्यों के अनुरूप अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति के लिए केवल मिशन मुख्यालय द्वारा किया जा सकेगा, जिसे तत्संबंध में जारी आदेश द्वारा अवगत कराया जायेगा।

अनुलग्नक – 3

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा परियोजना निधि की मांग हेतु आयोजना प्रस्ताव का प्रारूप

परियोजना का नाम –
विकासखण्ड का नाम –

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम –
परियोजना की स्वीकृत लागत –

1. उपरोक्तानुसार एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की परियोजना के लिए निम्न विवरण अनुसार आयोजना प्रस्ताव प्रस्तुत है :–

क्र.	मद का नाम जिसमें प्रस्तावित कार्यकलाप के लिए राशि की मांग की जा रही है	कॉलम 2 में उल्लेखित मद में प्रावधानित राशि (परियोजना क्षेत्रफल x ₹ 12000 x अनलग्नक – 2 में निर्धारित की गई व्यय की अधिकतम सीमा/100) (₹ में)	कॉलम 2 में उल्लेखित मद में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की दिनांक तक जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर से प्राप्त राशि (₹ में)
1	2	3	4

क्र.	निष्पादन हेतु प्रस्तावित प्रयोजन / कार्यकलाप का विवरण					कॉलम 2 व 3 में उल्लेखित विवरण अनुसार कार्य के लिए यदि पूर्व में भी जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर द्वारा राशि प्रदाय की गई है तो उसके उपयोग का विवरण		
	प्रयोजन / कार्यकलाप का नाम	निष्पादन हेतु कार्य की प्रस्तावित मात्रा, खसरा नंबर / स्थान, प्रस्तावित हितग्राही सामाजिक जुड़ाव एवं क्षमता निर्माण के कार्यों के प्रकरण में विषयवस्तु, इत्यादि	दर / इकाई लागत (₹ में)	कुल लागत (₹ में)	मांगी जा रही राशि (₹ में)	निष्पादित कार्य की मात्रा, लाभान्वित हितग्राही इत्यादि	प्राप्त राशि (₹ में)	व्यय राशि (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. प्रस्तावित कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति तथा तकनीकी स्वीकृति का विवरण (संलग्न करें)
3. प्रस्तावित कार्य का प्राक्कलन, ड्राइंग / डिजाईन (संलग्न करें)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विवरण अनुसार परियोजना निधि का उपयोग किया गया है। निष्पादित कार्यकलाप गुणवत्तापूर्ण तथा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप है और इसका मूल्यांकन किया जाकर सत्यापन किया गया है। उक्त विवरण अनुसार निष्पादन हेतु प्रस्तावित कार्यकलाप के लिए मांगी जा रही राशि प्रदाय की जाये।

(टीम लीडर का नाम और हस्ताक्षर)

वाटरशेड समितियों द्वारा परियोजना निधि की मांग हेतु आयोजना प्रस्ताव का प्रारूप

परियोजना का नाम – परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का नाम – संबंधित ग्राम पंचायत का नाम –
विकासखण्ड का नाम – माइक्रोवाटरशेड का कोड नंबर – संबंधित ग्राम का नाम –
माइक्रोवाटरशेड का क्षेत्रफल (हेक्टेयर) – माइक्रोवाटरशेड की स्वीकृत परियोजना लागत (क्षेत्रफल x रू. 12000) –

1. उपरोक्तानुसार एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की परियोजना के लिए निम्न विवरण अनुसार आयोजना प्रस्ताव प्रस्तुत है :–

क्र.	मद का नाम जिसमें प्रस्तावित कार्यकलाप के लिए राशि की मांग की जा रही है	कॉलम 2 में उल्लेखित मद में प्रावधानित राशि (परियोजना क्षेत्रफल x ₹ 12000 x अनलग्नक – 2 में निर्धारित की गई व्यय की अधिकतम सीमा/100) (₹ में)	कॉलम 2 में उल्लेखित मद में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की दिनांक तक जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर से प्राप्त राशि (₹ में)
1	2	3	4

क्र.	निष्पादन हेतु प्रस्तावित प्रयोजन/कार्यकलाप का विवरण					कॉलम 2 व 3 में उल्लेखित विवरण अनुसार कार्य के लिए यदि पूर्व में भी जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर द्वारा राशि प्रदाय की गई है तो उसके उपयोग का विवरण		
	प्रयोजन/कार्यकलाप का नाम	निष्पादन हेतु प्रस्तावित कार्य की मात्रा, खसरा नंबर/स्थान, प्रस्तावित हितग्राही, संस्थापन एवं क्षमता निर्माण के कार्यों के प्रकरण में विषयवस्तु, इत्यादि	दर/इकाई लागत (₹ में)	कुल लागत (₹ में)	मांगी जा रही राशि (₹ में)	निष्पादित कार्य की मात्रा, लाभान्वित हितग्राही इत्यादि	प्राप्त राशि (₹ में)	व्यय राशि (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. प्रस्तावित कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति तथा तकनीकी स्वीकृति का विवरण (संलग्न करें)
3. प्रस्तावित कार्य का प्राक्कलन, ड्राइंग/डिजाईन (संलग्न करें)
4. आजीविका उन्नयन/लघु उद्यम के प्रस्तावित कार्य का विस्तृत विवरण (संलग्न करें)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विवरण अनुसार परियोजना निधि का उपयोग किया गया है। निष्पादित कार्यकलाप गुणवत्तापूर्ण तथा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप है और इसका मूल्यांकन किया जाकर सत्यापन किया गया है। उक्त विवरण अनुसार निष्पादन हेतु प्रस्तावित कार्यकलाप के लिए मांगी जा रही राशि प्रदाय की जाये।

(वाटरशेड समिति अध्यक्ष का नाम व हस्ताक्षर) **(वाटरशेड समिति के सचिव का नाम व हस्ताक्षर)** **(टीम लीडर का नाम और हस्ताक्षर)**